संख्या- 2/567/तीस-2-2025-(19)/2007टी0सी0

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 18-06-2025**

विषय- उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतनमान में दिनांक 01-01-2024 से मूल वेतन का 50 प्रतिशत (04 प्रतिशत की वृद्धि) की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपुर्यक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1544 एफए/24-499एफए/74/21, दिनांक 28-10-2024 के अनुक्रम में प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति (एम्पावर्ड कमेटी) की बैठक दिनांक 16-05-2025 के कार्यवृत्त संख्या-575/44-1-2025 दिनांक 30-05-2025 जो आपको भी पृष्ठांकित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में अधिकृत समिति (एम्पावर्ड कमेटी) द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

(1) निगम के पूर्णकालिक कार्यरत कार्मिकों को 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की किश्त के भुगतान की स्वीकृति दिनांक 16-05-2025 से प्रदान की जाती है। उक्त के सम्बन्ध में कोई एरियर अनुमन्य नहीं होगा।

(2) भविष्य में मंहगाई भत्ते की बढ़ी हई किश्तों के भुगतान की अनुमति के लिए निगम प्रशासनिक विभाग के माध्यम से पुन: प्रकरण अधिकृत समिति (एम्पावर्ड कमेटी) के समक्ष रखेगा।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्णयानुसार प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इसमें आने वाला वित्तीय व्यय-भार उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता देय नहीं होगी।

भवदीय,
ह0/-
(अमित गुप्ता)
प्रमुख सचिव।